न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, भागलपुर

उपस्थित :– राज नारायण निगम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, भागलपुर

सत्र वाद संख्या–922 / 2022

टी0आर0 नंबर–100 / 2022

कहलगांव अंतिचक थाना कांड संख्या–28 / 2012

आरोप गठन–323,376,493,506 / 34 भा0द0वि0

निर्णय की तिथि. 29.07.2026

बिहार सरकार ..... **अभियोजन**

Versus

1- भीखन साह, पे0– सुरेश साह

ग्राम–बटेश्वर स्थान नवादा, थाना–अंतिचक, जिला–भागलपुर

---------- **अभियुक्त**

Appearance

Counsel on behalf of the prosecution:- श्री विजय कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक

Counsel on behalf of the defence:- श्री प्रणय कुमार, विद्वान अधिवक्ता

29.7.26

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त अभियुक्त भीखन साह, पे0–सुरेश साह के विरूद्व धारा–323,376,493,506 / 34 भा0द0वि0 में पीड़िता सूचिका एन0के0 के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में आरोपित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का मामला इस तरह है कि पीड़िता सूचिका एन0के0 के द्वारा आवेदन में लिखा गया है कि मुझे शादी का प्रलोभन देकर भीखन साह यौन शोषण करता रहा जब पीड़िता सूचिका गर्भवती हो गई तो शादी करने का दवाब बनाई तो टाल मटोल करता रहा और कहा कि पंचायत चुनाव के बाद कर लूंगा। दिनांक 23.02.2022 को करीबन 8 बजे रात में भीखन साह को शादी करने हेतु पीड़िता सूचिका कही तो उसके साथ मारपीट किया। शोर होने पर गांव समाज के लोग बीच बचाव करने आए तो पीड़िता सूचिका की जान बची नहीं तो जान से मार देते। उसके बाद भीखन साह, सुकुमारी देवी, पप्पु साह, रविन्द्र साह, सभी ग्राम–नवादा, थाना–अंतिचक, जिला–भागलपुर एकमत होकर लाठी डंडा से लेश होकर मारपीट किया। ग्रामिणों का भीड़ होते ही सभी अभियुक्तगण भाग गये और पप्पु साह ने धमकी दिया है कि थान में केस किया तो बारी–बारी से जान मार

देंगे।

3. पीड़िता सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर कहलगांव अंतिचक थाना कांड संख्या–11 / 2022 दिनांक–25.02.2022 को औपचारिक प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए अभियुक्त भीखन साह के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–34 / 2022 दिनांक 30.04.2022 अंतर्गत धारा 323,376,493,506 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया जिसके आधार पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर द्वारा अभियुक्त भीखन साह के विरूद्ध उपरोक्त धारा 323,376,493,506 / 34 भा0द0वि0 अपराध का संज्ञान लिया गया तदोपरांत दिनांक 30.11.2022 को विद्वान न्या0 दडा0 द्वारा वाद दौरा सुपूर्द किया गया। ततपश्चात् प्रस्तुत वाद विचारण एवं निष्पादन के क्रम में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निष्पादन के लिये इस न्यायालय में दिनांक 15.12.2022 को स्थानांतरित किया गया है।

4. अभियोजन की ओर से कुल छः साक्षी प्रकाश चौधरी, गीता देवी, पूनम देवी, अकाली देवी, किरण देवी एवं पीड़िता सूचिका एन0के0 का गवाही कराई गई है।

5. दिनांक 06.12.2024 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया एवं दिनांक 22.01.2025 को अभियुक्त का धारा 313 के अंतर्गत बयान लिया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया एवं न्याय विचारण की मांग की।

6. प्रस्तुत वाद में विचारण का मुख्य विषय यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

7. अभियोजन द्वारा कुल–06 साक्षियों का बयान कराया गया है। जिसमें से अभियोजन साक्षी संख्या–01 प्रकाश चौधरी, अभियोजन साक्षी संख्या–02 गीता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–03 पूनम देवी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या–04 अकाली देवी अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि पीड़िता मेरी गांव टोला की बेटी लगती है। घटना दिनांक 23.02.2022 के आठ बजे रात की है। घटना के समय मै अपने घर में थी। भीखन कुमार साह ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर रखा जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। पुरे समाज के लोग बोले कि अगर ऐसा काम किए हो तो शादी कर लो। उसके बाद रात में अभियुक्त भीखन साह भाग गया। पीड़िता को अभियुक्त के परिवार वाले मारने के लिए उतारू हो गए और शादी करने से भी इंकार कर दिया।

साक्षी पतिपरीक्षण में कहा है कि मेरा इससे पहले कही पर बयान नहीं हुआ था। मेरा आज प्रथम बार ही बयान हुआ है। मुझे वकिल साहब ने जितनी बातें बताई, मैने सारी बाते बता दी। भीखन साह मेरा गांव टोला का भगना लगता है इसलिए मै उसे पहचानती

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

हूँ। ऐसी बात नही है कि अभियुक्त को इस केस में झुठा फसाया हो तथा झुठी गवाही दी हूँ।

9. उसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–05 पीड़िता की मॉ किरण देवी कही है कि पीड़िता मेरी बेटी है। यह केस मेरी पीड़िता बेटी की है। घटना फागुन माह के वर्ष 2022 की है। दिनांक 25.02.2022 की घटना है। साक्षी की पीड़िता बेटी के साथ भीखन दास घटना किया था। उस समय साक्षी और उसके पति घर पर नहीं थे। साक्षी की बेटी को उस समय बाल बच्चा होने वाला था। बाल बच्चा होने के बाद पंचायती बैठा जिसमें भीखन साह शादी करने से इंकार कर दिया।

साक्षी पतिपरीक्षण में कही है कि घटना के समय मै और मेरा पति गांव में ही मिरचाई खेंत में कुरपी करने गई थी। हमदोनो एक बजे दिन में घर वापस आ गए थे और फिर तीन बजे दिन में मिरचायी खेंत में कुरपी करने चले गए थे और शाम में पांच बजे वापस आए थे। घटना के संबंध में साक्षी की पीड़िता बेटी पांच माह बाद साक्षी को बताई थी और कही कि मै गर्भवती हूँ। उस पांच माह के पहले साक्षी की बेटी ने साक्षी या उसके पति को यह बात नहीं बताई थी कि भीखन साह ने उसके साथ कोई गलत काम किया है। जब साक्षी एवं उसके पति घर से बाहर काम करने जाते थे तब साक्षी की पीड़िता बेटी किससे मिलती थी कहा मिलती थी, किससे बात करती थी वह अपने आंख से नहीं देखी थी। साक्षी अपनी बेटी को अपने आंखो से भीखन से बात करते नहीं देखी थी। अभियुक्त साक्षी के घर आता जाता था और पीड़िता से फोन पर बात करता था। साक्षी के पति को जानकारी था कि मेरी बेटी भीखन से फोन से बात करती है और साक्षी के पति भीखन को मना करते थे परंतु भीखन नहीं माना। जब नहीं माना तो साक्षी और उसके पति ने कही पर कुछ लिखकर नही दिया था। साक्षी जब लॉकडाउन में थाना केस करने जाते थे तो थाना वाले साक्षी को वापस कर देते थे। उसके एक साल बाद साक्षी की बेटी ने अंतीचक थाना में यह केस की।

10. उसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–06 पीड़िता सूचिका एन0के0 अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि घटना वर्ष 2022 की है। तारीख याद नहीं है। समय भी याद नहीं है। उस समय साक्षी अपने घर में थी। पीड़िता सूचिका की मॉ तथा पिताजी दूसरे के खेत में मजदूरी करने चली गई थी। मोबाईल पर बात हुआ था। छोटू कुमार पीड़िता के भाई से भीखन साह का दोस्ती था और दोस्ती में उसके घर आना जाना होता था। भीखन साह पीड़िता से फोन पर बातचीत करता था तथा बाद में शादी करने से पंच के सामने इंकार कर दिया था। मैने यह केस 2022 में की थी। पीड़िता का न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी का भी बयान हुआ था जिसपर अंगूठा निशान लगाई थी।

पीड़िता साक्षी पतिपरीक्षण में कही है कि जो बाते आज मैने न्यायालय में कही है, वही सारी बातें आवेदन में लिखी थी और मैने उसपर अपना अंगूठे का निशान दी थी। दरोगा जी मुझे जो जो कहा था वही सारी पीड़िता ने मजिस्टेट साहब के सामने कही थी।

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur

11. अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया जबकि न्यायालय द्वारा अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सीय साक्षी के विरूद्ध सभी स्टेप लिये गये है लेकिन अभियोजन द्वारा प्रस्तुत वाद में अनुसंधानक एवं चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य कराने में अक्षम रहा।

12. उपर्युक्त साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य का परिशिलन करने से विदित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या–04 अकाली देवी अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि पीड़िता मेरी गांव टोला की बेटी लगती है। घटना दिनांक 23.02.2022 के आठ बजे रात की है। घटन के समय मै अपने घर में थी। भीखन कुमार साह ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर रखा जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। पुरे समाज के लोग बोले कि अगर ऐसा काम किए हो तो शादी कर लो। साक्षी पतिपरीक्षण में कही है कि मेरा इससे पहले कही पर बयान नहीं हुआ था। मेरा आज प्रथम बार ही बयान हुआ है। मुझे वकिल साहब ने जितनी बातें बताई, मैने सारी बाते बता दी। अभियोजन साक्षी संख्या–05 पीड़िता की मॉ किरण देवी कही है कि पीड़िता मेरी बेटी है। यह केस मेरी पीड़िता बेटी की है। घटना फागुन माह के वर्ष 2022 की है। दिनांक 25.02.2022 की घटना है। साक्षी की पीड़िता बेटी के साथ भीखन दास घटना किया था। उस समय साक्षी और उसके पति घर पर नहीं थे। साक्षी की बेटी को उस समय बाल बच्चा होने वाला था। साक्षी पतिपरीक्षण में कही है कि घटना के समय मै और मेरा पति गांव में ही मिरचाई खेंत में कुरपी करने गई थी। हमदोनो एक बजे दिन में घर वापस आ गए थे और फिर तीन बजे दिन में मिरचायी खेंत में कुरपी करने चले गए थे और शाम में पांच बजे वापस आए थे। उस पांच माह के पहले साक्षी की बेटी ने साक्षी या उसके पति को यह बात नहीं बताई थी कि भीखन साह ने उसके साथ कोई गलत काम किया है। जब साक्षी एवं उसके पति घर से बाहर काम करने जाते थे तब साक्षी की पीड़िता बेटी किससे मिलती थी कहा मिलती थी, किससे बात करती थी वह अपने आंख से नहीं देखी थी। साक्षी अपनी बेटी को अपने आंखो से भीखन से बात करते नहीं देखी थी। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–06 पीड़िता सूचिका एन0के0 अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि घटना वर्ष 2022 की है। तारीख याद नहीं है। समय भी याद नहीं है।भीखन साह पीड़िता से फोन पर बातचीत करता था तथा बाद में शादी करने से पंच के सामने इंकार कर दिया था। मैने यह केस 2022 में की थी। पीड़िता का न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी का भी बयान हुआ था जिसपर अंगूठा निशान लगाई थी। पीड़िता साक्षी पतिपरीक्षण में कही है कि जो बाते आज मैने न्यायालय में कही है, वही सारी बातें आवेदन में लिखी थी और मैने उसपर अपना अंगूठे का निशान दी थी। दरोगा जी मुझे जो जो कहा था वही सारी बाते पीड़िता ने मजिस्टेट साहब के सामने कही थी। इसके अलावा अभियोजन के द्वारा किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं दिये गये साक्ष्य के अवलोकनोपरांत अभियोजन का वाद संदेहास्पद हो जाता है एवं तदनुसार आदेश पारित किया जाता है एवं अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में सवर्था

29.7.26

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

असफल रहा गया है।

आदेश

13. अभियुक्त भीखन साह को अंतर्गत **धारा–323,376,493,506 / 34** भा०द०वि० के अपराध से संदेह का लाभ देते हुये निर्दोष पाकर **दोषमुक्त किया** जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अतः अभियुक्त के जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाने एवं सुधारने के बाद खुली न्यायालय में सुनाया गया। लेखापित एवं मेरे द्वारा शुद्धिकृत

29.7.26

राज नारायण निगम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम्,
भागलपुर
दिनांक 29.07.2026

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाने एवं सुधारने के बाद खुली न्यायालय में सुनाया गया। लेखापित एवं मेरे द्वारा शुद्धिकृत

29.7.26

राज नारायण निगम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम्,
भागलपुर
दिनांक 29.07.2026

Date of Judgment/Order	29.07.2026
Date of Reserving Judgment/Order	29.07.2026
Uploading Date	12.08.2026
Uploaded by	Smt. Neelam Kumari D.E.O

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★